

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी
पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 183/2023 जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2023/107
दायर दिनांक :- 04.08.2023 निर्णय दिनांक :- 08.01.2025

1. हरीराम पुत्र बगडूराम जाति विश्नोई निवासी दयाकौर तहसील लोहावट जिला फलोदी

—प्रार्थी

बनाम

1. अणदाराम पुत्र उदाराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
2. गंगाराम पुत्र लुम्बाराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
3. जोराराम पुत्र बगडूराम फौत के कायम मुकाम
- 3/1 बघनाराम पुत्र जोराराम जाति विश्नोई निवासी दयाकौर तहसील लोहावट जिला फलोदी
- 3/2 सुभाष पुत्र जोराराम जाति विश्नोई निवासी दयाकौर तहसील लोहावट जिला फलोदी
- 3/3 मंगनाराम पुत्र जोराराम जाति विश्नोई निवासी दयाकौर तहसील लोहावट जिला फलोदी
- 3/4 अशोक पुत्र जोराराम जाति विश्नोई निवासी दयाकौर तहसील लोहावट जिला फलोदी
- 3/5 सोहनराम पुत्र जोराराम जाति विश्नोई निवासी दयाकौर तहसील लोहावट जिला फलोदी
- 3/6 सोमारी पत्नी जोराराम जाति विश्नोई निवासी दयाकौर तहसील लोहावट जिला फलोदी
4. बंशीलाल पुत्र उदाराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
5. मांगीलाल पुत्र बगताराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
6. शैतानाराम पुत्र उदाराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
7. हनुमान पुत्र बगताराम फौत के कायम मुकाम
- 7/1 स्वरूपाराम पुत्र हनुमानराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
- 7/2 सुनिल पुत्र हनुमानराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी

—अप्रार्थी


राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :- 1. श्री राजेन्द्रसिंह सौलकी अधिवक्ता प्रार्थी

2. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता अप्रार्थीगण

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थी का वाद प्रथम दृष्टया साबित है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त होने से सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है यदि प्रार्थी को अपने हिस्से पर कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल कर दिया जाता है तो उससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन


सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

